स्पीड पोस्ट द्वारा
आर.टी. आई. मामला

संख्या.40-2/2014-एन.डी.एम
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

हाल-'बी', तृतीय तल, एन.डी.सी.सी- ।। भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
दिनांक 5 अगस्त, 2014

सेवा में,

श्री रामेश्वर प्रसाद मिश्रा,
विद्या विहार फेस-2,
नियर कोहिनूर ज्वैलर्स, कारगी रोड,
देहरादून

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना

कृपया इस अनुभाग में 17.07.14 को प्राप्त अपने दिनांक 30.06.14 के आर.टी.आई आवेदन जो कि प्रधानमंत्री महोदय को प्रेषित है, को बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा गृहमंत्रालय को बिन्दु संख्या-2 के संबंध में अंतरित किया गया था, जो बाद में आर.टी.आई. अनुभाग, गृहमंत्रालय द्वारा इस अनुभाग को अंतरित किया गया है, का अवलोकन करें जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगी गई है।

2. उक्त सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहना है कि उत्तराखंड में आपदा राहत के लिए तत्काल 474.5 करोड़ रूपये [145 करोड़ रूपये दिनांक 20.06.13 को एस.डी.आर.एफ से, 329.50 करोड़ एन.डी.आर.एफ. से (250 करोड़ दिनांक 19.07.2013 को + 17.66 करोड़ रूपये दिनांक 28.02.2014 को + 61.84 करोड़ दिनांक 31.03.2014 को)] भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड सरकार को तत्काल राहत एवं बचाव कार्यो के लिए जारी किये गये।

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसके प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम के, 2005 की धारा 19(1) के तहत निम्नलिखित को अपील कर सकते हैं।

श्री जी.वी.वी.सर्मा, संयुक्त सचिव एवं अपील प्राधिकारी,
डी.एम. प्रभाग, गृह मंत्रालय,
हॉल-'बी', तीसरा तल, एन.डी.सी.सी.- ।। भवन,
जयसिंह रोड,
नई दिल्ली-110001

गौतम घोष

(गौतम घोष)
उप सचिव एवं केन्द्रीय सूचना अधिकारी (डी एम- ।)
टेलीफोन-23438123

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यावाही हेतु :-

अनुभाग अधिकारी, आई. टी. खंड, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली। [आर.टी.आई संभाग से प्राप्त कार्यालय ज्ञापन संख्या ए.43020/61/2013-आर.टी.आई (भाग-1) दिनांक 20/21 मई, 2014 के सन्दर्भ में]।

प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतूः-

आर.टी.आई अनुभाग, (श्री एस. सामंत, अवर सचिव), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली (आपके पत्र संख्या 43020/01/2014-आर.टी.आई दिनांक 15.07.14)।

सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई R-311868/DS(DM)/14

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक : 15/7/, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री रामेश्वर प्रसाद मिश्रा ......का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री रामेश्वर प्रसाद मिश्रा ......के दिनांक: 30/6/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में ...... प्रधान मन्त्री कार्यालय ......से अंतरण द्वारा दिनांक: 10/7/2014 को प्राप्त) को ...... डी. एम ...... प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क → प्रधान मन्त्री कार्यालय में ~~दिनांक....../....../2014 की रसीद सं......~~ ......के तहत जमा कर दिया है (~~संलग्न~~)/ नहीं किया ~~है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

संलग्नक : यथोपरि

सु. सामंत

(एस. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

निदेशक (डी एम-I)

गृह मन्त्रालय, एन डी सी सी-II भवन

जयसिंह रोड, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री रामेश्वर प्रसाद मिश्रा

विद्या विहार-फेस-2,

नियर-कोहिनूर ज्वैलर्स भारगो रोड

देहरादून, उत्तराखंड

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

TO(DM)

17/7

3916/RTI/MHA/2014
14/7/14

C-30556/4/HS/14
08.07.

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - **110 011**

संख्या आरटीआई/3809/2014-पीएमआर दिनांकः , 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री रामेश्वर प्रसाद मिश्रा से प्राप्त दिनांक 30.6.2014 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 2.7.2014 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(सैयद इकराम रिज़वी)
उप सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2307 4072

HS

1. गृह सचिव, गृह मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली — बिंदु संख्या 2 के संबंध में
2. सचिव, भारत सरकार
आर्थिक कार्य विभाग
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली — बिन्दु संख्या 1 के संगत अंश के संबध में
3. सचिव, भारत सरकार
योजना आयोग
योजना भवन, नई दिल्ली — बिन्दु संख्या 1 के संगत अंश के संबध में

JS(A)
10/7/14
DS(E)

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री रामेश्वर प्रसाद मिश्रा
विद्या विहार पेस -2,
नियर कोहिनूर ज्वैलस,
कारगी रोड, देहरादून
उत्तराखण्ड

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरणों से सम्पर्क करें। इस कार्यालय से संबंधित बिंदु संख्या 2 के संबंध में सूचना कालान्तर में दे दी जाएगी। बिंदु संख्या 3 के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आपका अनुरोध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(च) के अंतर्गत दी गई 'सूचना' की परिभाषा में नहीं आता है। बिंदु संख्या 4के संबंध में सूचित किया जाता है कि माननीय प्रधान मंत्री से मुलाकात के लिए प्रार्थना-पत्र प्रधान मंत्री को या प्रधान मंत्री के निजी सचिव को भेजा जाना चाहिए। टेलीफोन पर संपर्क करने के लिए 011-23018939 डायल करके मुलाकात प्रकोष्ठ (एपॉइन्टमेंट सेल) से बात की जा सकती है।

11/7
US(RTI)
SO(RTI)
11/7

Dir(DM-I) TOC

R-31186/DS(DM)14

3809/14 - 3 July 14

3809/14

PRIME ...

02 JUL 2014

DAK SECTION

दिनांक : 30.06.2014

URGENT

RTI ACT

Diary No. 18733

& Date 02/07/14

Last Date For ... 07/07/14

सेवा में,

प्रधानमंत्री महोदय,

भारत सरकार

नई दिल्ली

विषयः सूचना के अधिकारी अधिनियम एक्ट 2005 के तहत सूचना देने की कृपा करें।

बिन्दु सं.1 उत्तराखण्ड राज्य में 2007 से 2014 तक केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार में कितना बजट उत्तराखण्ड सरकार को दिया गया वर्षवार विवरण दें। तथा किस-किस पैकेज के रूप में दिये गये हैं बिन्दुवार विवरण दें।

PC / EA

बिन्दु सं.2 उत्तराखण्ड में 17 जून 2013 को आयी आपदा के तहत केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि उत्तराखण्ड सरकार को दी गयी है और किस-किस रूप में दी गयी उसका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में विधिवत विवरण दें।

VS (Fund) / MHA

बिन्दु सं.3 क्या प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा उत्तराखण्ड के हित के लिए तथा उत्तराखण्ड के भविष्य के लिए किस-किस मद्दे व स्तर पर सक्त कार्यवाही करने के लिए सक्षम हैं विधिवार व बिन्दुवार संवैधानिक व विधिवार विवरण दें।

Para 2(f)

बिन्दु सं. 4 क्या आम आदमियों को माननीय प्रधानमंत्री से अपने प्रदेश या अपने राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार के प्रति सीधी मुलाकात करने का क्या प्राविधान है। बिन्दुवार दें।

RTI Standard para

महोदय निवेदन इस प्रकार है कि मेरे प्रदेश उत्तराखण्ड में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड के मंत्रियों एवं मुख्य सचिव तथा सचिव द्वारा उत्तराखण्ड के हो रहे शोषण के प्रति आप मेरी दृष्टि में पूर्ण सक्षम हैं इस देव भूमि उत्तराखण्ड में सिर्फ घोषणा ही की गयी हैं अथवा कोई कार्य जमीन पर कोई कार्य 40 प्रतिशत को भी देखने को नहीं मिला है आप इस राज्य की तरफ एक दृष्टि डालने की कृपा करें। मैं इस आशा और उम्मीद के साथ सदैव आभारी रहूंगा।

धन्यवाद!

संलग्न: 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर सं० 28F 161647

भवदीय,

रामेश्वर प्रसाद मिश्रा
विद्या विहार फेस-2, नियर
कोहिनूर ज्वैलर्स, कारगी रोड, देहरादून
फोन नं. 9997465699, 9458397299, 9412902989

4604063